(क) क्या यह सच है कि राजभाषा विभाग के सक्रिय न रहने के कारण केन्द्रीय सरकार का कोई कार्यालय सरकारी उपक्रम और अन्य कार्यालय 25 वर्षों के बाद भी राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों और 20 वर्ष के पश्चात भी प्रगामी प्रयोग के वार्षिक कार्यक्रम को लागू नहीं कर सके हैं और इतने पर भी विभाग ने इस संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि संसदीय राजभाषा समिति प्रभावहीन है, क्योंकि यह राजभाषा अधिनियम के उल्लंघन को रोकने की स्थिति में नहीं है ;

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से विभागों, तकनीकी प्रशिक्षण/अनुसंधान संस्थाओं के संबंध में इनकी प्रश्नावली निहायत पुरानी और अप्रासंगिक है ; और

(घ) क्या मंत्रालय उक्त विभाग के कार्य में आमूल परिवर्तन करने का विचार रखता है ; यदि नहीं, तो क्या सभी मंत्रालयों द्वारा रोमन लिपि में कम्प्यूटर, टैलैक्स, टेलीप्रिंटर आदि खरीदते रहने की अनुमति दी जाती रहेगी ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही)** : (क) जी नहीं, । केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम , 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 के उपबन्धों को लागू करने के लिये सक्रिय रूप से प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की समितियां गठित की गयी हैं । कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है और तिमाही प्रगति रिपोर्ट में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति के संबंध में आंकड़े मंगवाये जाते हैं, जिनका अध्ययन करके कमियों को दूर करने के अनुदेश किये जाते हैं । हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति के बारे में एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भी तैयार की जाती है और संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है ।

(ख) संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अन्तर्गत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुन: अवलोकन करके उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने के लिये किया गया है, राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन को रोकने के लिये नहीं ।

(ग) संसदीय राजभाषा समिति के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार समिति द्वारा जो प्रश्नावली तैयार की गई है, वह सरकारी कार्यालयों के बारे में कुछ आधारभूत जानकारी प्राप्त करने के लिये है और इससे यह उद्देश्य पूरा हो जाता है ।

(घ) जी नहीं । हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि० द्वारा द्विभाषिक टेलीप्रिन्टर का निर्माण शुरू कर दिया गया है । आशा है कि शीघ्र ही द्विभाषी इलैक्ट्रिक टेलीप्रिन्टर तथा टेलैक्स नेटवर्क दोनों ही उपलब्ध हो जायेंगे और बाजार में बिकने लगेंगे । राजभाषा विभाग केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा द्विभाषी टलीप्रिन्टरों को अनिवार्य रूप से खरीदने या लीज पर लेने के आदेश जारी करने के बारे में विचार कर रहा है। सभी सरकारी कार्यालयों में कम्प्यूटर केवल द्विभाषी रूप में खरीदने के आदेश आगे ही दिये जा चुके हैं। केवल रोमन में कार्य करने की सुविधा रखने वाले कम्प्यूटरों की खरीद की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है।

**Construction of Dams in the Western Ghats**

2169. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether protests have been lodged against the construction of dams in the

Western Ghats because it might lead to the destruction of prime tropical rain forests; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) Protests have been received by the Central Gofernment against the construction of the Silent Valley Project, Puyamkutty project and the Pallivasal Replacement Scheme of Kerala, and the Bedthi and Sharavti Tail Race Projects of Karnataka.

(b) While arriving at a decision, due consideration is given to these protests along with the socio-economic and ecological aspects of the region, to safeguard the environmental balance.

**Foreign debt**

170. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the foreign debt position of India as on 31st January, 1988;

(b) how much money India had to pay during 1986-87 towards interests on the pricipal amount and what is the amount to be paid towards interest during 1987-88 and 1988-89; and

(c) what has been the quantum of foreign debt drawn by India during the last three years from various international financial institutions and countries and the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) The foreign debt outstanding on Government Account as on 31st December 1987 is estimated to be Rs. 35268 crores. The figures for January, 1988 is not available as the account for January, 1988 are yet to be finalised.

(b) India had paid Rs. 772 crores during 1986-87 towads interests on debt outstanding on Government Account. The estimated amount to be paid towards interest on debt outstanding on Government Account during 1987-88 and 1988-89 would be Rs. 1037 crores and Rs. 1258 crores respectively.

(c) Information is given in the statement attached.

**Statement**

*Names of the Countries/Institutions and amount of Foreign Loans taken on Government Account*

(Amount in Rs. Crores

| Sl. No. | Name of the Countries/Institutions | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Countries** | | | |
| 1 | Austria | 2.34 | 3.62 | 1.70 |
| 2 | Belgium | 6.01 | 3.03 | 5.84 |
| 3 | Canada | 48.88 | 40.19 | 27.27 |
| 4 | Denmark | 17.39 | 10.84 | 17.65 |
| 5 | France | 102.73 | 169.99 | 233.00 |
| 6 | F.R. Germany | 113.83 | 126.57 | 215.48 |
| 7 | Italy | 8.68 | 11.92 | 31.25 |